

11.02.2026

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी अपने वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद पत्र वादी व वकील वादी की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

